

**अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

आदेशांक—वा0क0अधि0/पूर्ण पीठ/ /2023, दिनांक:—अगस्त 04, 2023,

—:: आदेश ::—

उत्तर प्रदेश बैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन पूर्ण पीठ से सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर दिनांक 13-09-2023 एवं 14-09-2023 को पूर्णपीठ का गठन किया जाता है।

उक्त गठित पूर्ण पीठ में मेरे अतिरिक्त श्री राजीव रंजन, एच0जे0एस0, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—प्रथम, इलाहाबाद एवं श्री विजय कुमार मिश्रा, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—3 लखनऊ सम्मिलित होंगे।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0-04-08-2023,

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/पूर्णपीठ/955/2023, दिनांक: यथोक्त।

प्रतिलिपि :: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1, इलाहाबाद व पीठ-2 एवं 3, लखनऊ।
- 2- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर), नाजिर मुख्यालय।
- 3- कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- आदेश की अनुरक्षण पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,



(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।